संख्या-18/2022/3498/26-3-2021-9(ज.जा.)/94 टी.सी.

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 मार्च 2022

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-284/ज.जा.वि./प्रशिक्षण कार्यक्रम/2021-22, दिनांक-03.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायाजित योजना-0105- पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन (के0 100/रा0 0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-20000000/- के सापेक्ष रू0-6643764/- (रू0-छाछठ लाख तिरालीस हजार सात सौ चौसठ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(3) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र0वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(8) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधां तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पूर्व, पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष धनराशि जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(10) गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी/स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष अवधि की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पी0एल0ए0, बैंक, डाकखानों आदि खातो में नहीं रखी जायेगी।

(12) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के आय-व्ययक के मुख्य लेखाषीर्शक--''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायाजित योजना-0105- पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन (के0 100/रा0 0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-3427 , दिनांक-15 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

पृ0संख्या-18/2022/3498 (1)/26-3-2021-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।